न्यायालय : अपर जिला न्यायाधीश, क्रम–2 बारां जिला बारां (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– भूपेन्द्र कुमार मीना, आर0जे0एस0 (डी0जे0 केडर)

दीवानी अपील संख्या :– 11 / 2022

सीआईएस नं0 :– 16 / 2021

आर.जे.बी.आर. नं0 :– RJBR010017782021

मयूर सक्सेना आयु 28 वर्ष पुत्र भगवान स्वरूप दत्तक पुत्र स्व0 बुद्धिप्रकाश सक्सेना निवासी मकान नं0 211, नगरपालिका कॉलोनी बारां तहसील व जिला बारां (राज0)

–अपीलार्थी / वादी–

:: **बनाम** ::

1– सर्वसाधारण

2– राजस्थान सरकार जर्ये राजकीय अधिवक्ता बारां जिला बारां

3– सार्वजनिक निर्माण विभाग बारां जर्ये अधिशाषी अधिकारी सा0नि0वि0 बारां जिला बारां (राज0)

–रेस्पोडेन्ट्स / प्रतिवादीगण–

अपील बनाराजगी निर्णय एवं डिक्री दिनांक 07.09.2021, जो सुश्री बीना मीना, सिविल न्यायाधीश, बारां द्वारा दीवानी दावा सं0 15 / 2018(सीआईएस नं0 15 / 2018) बउनवान मयूर सक्सेना बनाम सर्वसाधारण, दावा बाबत चाहने घोषणा दत्तक पुत्र

उपस्थित :–

1– श्री महावीर जैन, अधिवक्ता, अपीलार्थी की ओर से।

2– सर्वसाधारण की ओर से कोई उपस्थित नहीं।

3– अपर लोक अभियोजक, रेस्पोडेंट्स क्रम 2 व 3 की ओर से।

:: **निर्णय** :: **दिनांक : 30.03.2026**

01. अपीलार्थी / वादी मयूर सक्सेना की ओर से यह व्यवहार अपील विद्वान विचारण न्यायालय सिविल न्यायाधीश बारां द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 07.09.2021 से व्यथित होकर श्रीमान् जिला न्यायाधीश, बारां जिला बारां के समक्ष दिनांक 28.09.2021 को प्रस्तुत की गई। जहां से यह अपील कालांतर में श्रीमान् जिला एवं सेशन न्यायाधीश, बारां के आदेश से वास्ते विधिवत सुनवाई एवं निस्तारण इस न्यायालय को अन्तरित होकर प्राप्त हुई है।

02. संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार से हैं कि अपीलार्थी/वादी की ओर से वाद बाबत् चाहने घोषणा दत्तक पुत्र विरूद्ध प्रतिवादीगण इन तथ्यों के साथ प्रस्तुत किया कि वादी के औरस पिता भगवान स्वरूप आत्मज रामरूप सक्सेना है। वादी को बुद्धिप्रकाश आत्मज रामरूप सक्सेना ने नाबालिगी आयु 05 वर्ष की उम्र से ही विधिवत् गोद ले लिया था परन्तु तत्समय पंजीयन नहीं कराया। वादी के दत्तक पिता बुद्धिप्रकाश ने दिनांक 29.01.2014 को विधिवत् उक्त गोदनामा का पंजीयन करा दिया है। प्रार्थी की परवरिश आदि समस्त नाबालिगी से ही दत्तक पिता बुद्धिप्रकाश द्वारा की गयी है। परन्तु अज्ञानतावश राजस्थान सरकार के किसी भी विभाग में पिता का नाम के स्थान पर दत्तक पिता का नाम अंकन नहीं करवाया जा सका। प्रार्थी के पिता दत्तक बुद्धिप्रकाश राजकीय सेवा में सार्वजनिक निर्माण विभाग बारां में स्टोर अटेण्डेन्ट के पद पर कार्यरत थे, जिनका दौराने राजकीय सेवा दिनांक 18.01.2014 को स्वर्गवास हो चुका है। समस्त क्रिया कर्म आदि की रस्म प्रार्थी के द्वारा ही संपन्न करायी गयी है। प्रार्थी अपने आपको दत्तक पिता बुद्धिप्रकाश का पुत्र घोषित करवाये जाने का अधिकारी एवं नालिशी है। प्रार्थी के दत्तक पिता सार्वजनिक निर्माण विभाग बारां में कार्यरत थे, प्रार्थी अपने दत्तक पिता के स्थान पर अनुकम्पा नौकरी पाने का अधिकारी है परन्तु सार्वजनिक निर्माण विभाग अनुकम्पा नौकरी देने हेतु कतई तैयार नहीं है। प्रार्थी द्वारा अनुकम्पा नौकरी हेतु सार्वजनिक निर्माण विभाग में समय पर आवेदन प्रस्तुत कर दिया गया है तथा दिनांक 15.01.2015 सहायक अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग बारां द्वारा अनुकम्पा नियुक्ति पत्र प्रार्थना कानूनी रूप से वैध नहीं है। प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार नहीं किया जाकर अवैधता की है। अतः दिनांक 15.01.2015 को ही विनाय मुसामत होने के कारण यह प्रार्थना पत्र अवधि मध्य प्रस्तुत है। इस हेतु अप्रार्थी सं0 3 को पक्षकार बनाया गया है। प्रार्थी ने इस आदेश के विरूद्ध उच्च अधिकारियों से भी सम्पर्क किया लेकिन उन्होनें कोई ध्यान नहीं दिया तथा अंतिम बार दिनांक 15.12.2017 को अनुकम्पा नौकरी देने से इन्कार करने पर वाद कारण उत्पन्न हुआ। प्रार्थी बारां का निवासी है तथा वाद कारण भी इसी क्षेत्र में उत्पन्न हुआ है, इसलिये न्यायालय को क्षैत्राधिकार व श्रवणाधिकार प्राप्त है और अंत में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी को दत्तक पिता श्री बुद्धिप्रकाश का पुत्र घोषित किये जाने की आज्ञा पारित करने एवं बहैसियत दत्तक पुत्र सभी लाभ–परिलाभ दिलाये जाने की प्रार्थना की।

03. प्रतिवादीगण ने वाद पत्र की अधिकांश मदों को अस्वीकार करते हुये जवाब दावा प्रस्तुत कर कथन किया कि वादी द्वारा प्रस्तुत गोद नामे के अनुसार

बुद्धिप्रकाश ने मयूर सक्सेना को जब वह 05 वर्ष का था तब ही गोद ले लिया था परन्तु दत्तक लेने की तारीख अंकित नहीं है। हिन्दू दत्तक तथा भरण पोषण अधिनियम 1956 की धारा 10 खण्ड (4) के अनुसार वही व्यक्ति दत्तक लिये जाने योग्य है, जिसने 15 वर्ष की आयु पूर्ण नहीं की हो एवं व्यक्ति अविवाहित हो। हिन्दू दत्तक तथा भरण पोषण अधिनियम 1956 के मुताबिक दत्तक लेते एवं देते समय जिस पुत्र को दत्तक लिया जा रहा है, उसके माता–पिता द्वारा संकल्प से पुत्र का दान एवं दत्तक दान लेने वाला व्यक्ति द्वारा गृहण किया जाना चाहिये तथा दत्तक दिये जाने वाले पुत्र की माता की उसमें सहमति आवश्यक है। शारीरिक रूप से देना और लेना आवश्यक है। उक्त गोदनामा रजिस्टर्ड करवाया उस समय उसकी आयु 20 वर्ष से ऊपर है, जिससे स्पष्ट है कि गोदनामा 15 वर्ष पश्चात् रजिस्टर्ड करवाया गया है, जो बाद में मृतक के परिलाभ अर्जित करने के आशय से तैयार किया है, जिससे गोदनामा बनावटी व कूटरचित किया गया लगता है। दत्तक लेने व देने के पश्चात् मयूर सक्सेना द्वारा जन्म से कुटुम्ब से संबन्ध विच्छेद किये गये या नहीं, क्योंकि अधिनियम के अनुसार दत्तक के पश्चात् जन्म के कुटुम्ब से संबन्ध विच्छेद होना आवश्यक है और अंत में वाद वादी पोषणीय नहीं होने से सव्यय खारिज किये जाने का निवेदन किया।

04. पक्षकारान के उपरोक्त अभिवचनों के आधार पर न्यायालय द्वारा निम्न विवाद्यक विरचित किये गयेः–

1– आया वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण स्वयं को बुद्धिप्रकाश पुत्र रामरूप निवासी बारां तहसील बारां का दत्तक पुत्र घोषित करवाने की घोषणात्मक व्यादेश प्राप्त करने का अधिकारी है ? ....वादी

2– अनुतोष ।

05. विचारण न्यायालय के समक्ष वादी ने अपने वाद पत्र के समर्थन में साक्ष्य के रूप में पी.डब्ल्यू. 1 हंसलता सक्सेना, पी.डब्ल्यू. 2 मयूर सक्सेना, पी.डब्ल्यू. 3 जयेश सक्सेना व पी.डब्ल्यू. 4 सत्यनारायण चौहान के रूप में परीक्षित कराये है तथा दस्तावेजी साक्ष्य में गोदनामा दिनांक 29.01.2014 प्रदर्श–1, जिसकी प्रति प्रदर्श–1'ए' है, सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा जारी पत्र प्रदर्श–2, वोटर आई डी प्रदर्श–3 जिसकी प्रति प्रदर्श–3–ए है, डी.एल. प्रदर्श–4, जिसकी प्रति प्रदर्श–4–ए, दुर्घटना बीमा प्रदर्श–5, सूचना का कवर लेटर प्रदर्श–6, दिनांक 19.07.2014 के प्रकाशन में शोक संदेश प्रदर्श–7 को प्रदर्शित कराया गया है।

06. विचारण न्यायालय के समक्ष प्रतिवादीगण की ओर से अपनी मौखिक साक्ष्य में गवाह डी.डब्ल्यू. 2 हजारीलाल को परीक्षित कराया है तथा दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श डी–1 न्यायिक दृष्टांत : S.B. CIVIL WRIT PITTION NO. 9577/2016 (Mayur Saxena Vs State of Raj. & Ors) Date of Order 11-10-2017 पेश कर प्रदर्शित करवाये गये है।

07. विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा प्रकरण में विचारण पूर्ण कर तथा दोनों पक्षों की बहस सुनी जाकर निर्णय दिनांकित 07.09.2021 पारित किया जिससे व्यथित होकर वादी/अपीलार्थी की ओर से यह अपील प्रस्तुत की गई है।

08. अपील के संबंध में बहस उभय पक्षकारान सुनी गई।

09. दौराने बहस अपीलार्थी/वादी के अधिवक्ता के द्वारा वाद पत्र के समर्थन में पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं प्रस्तुत दस्तावेजात को उसी रूप में नहीं मानकर निर्णय पारित किया है तथा प्रस्तुत न्याय दृष्टांत का विवेचन नहीं कर कानूनी भूल की है। पत्रावली पर प्रस्तुत की गयी साक्ष्य से अपीलार्थी/वादी को उसकी 05 वर्ष की उम्र में गौद ले लिया गया था परन्तु अज्ञानतावश उसकी 21 वर्ष की उम्र में दिनांक 29.01.2014 को उसके दत्तक पिता बुद्धिप्रकाश द्वारा लेने पर उसी दिन पंजीयन करवाया गया है। आगे यह भी तर्क दिया है कि विद्धान विचारण न्यायालय द्वारा वादी की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य के समर्थन में दस्तावेजात प्रस्तुत नहीं करना मानकर भारी भूल की है। अतः वादी/अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जावे।

10. इसके विपरीत विद्वान अपर लोक अभियोजक प्रतिवादीगण/रेस्पोडेन्ट्स का मुख्यतः तर्क रहा है कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध समग्र साक्ष्य व दस्तावेज का अवलोकन किये जाने के उपरांत विधि सम्मत निर्णय पारित किया गया है। अतः विद्वान विचारण न्यायालय के निर्णय व डिक्री को यथावत् रखते हुये वादी/अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया है।

11. उभय पक्षों के तर्को पर मनन किया गया एवं अपील पत्रावली व विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली सहित आलौच्य निर्णय का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत प्रकरण में वादपत्र एवं प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रतिवाद पत्र के आधार पर विरचित किये गये विवाद्यक पर विद्वान विचारण न्यायालय ने बिंदुवार निर्णय किया है। हस्तगत अपील का निस्तारण भी उक्त विवाद्यक बिंदुओं पर ही बिंदुवार किया जायेगा, जो इस प्रकार रहा हैः–

12— **<u>विवाद्यक संख्या :— 1</u>**

विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा विवाद्यक संख्या 1 को इस प्रकार निर्णित किया गया है कि **''पत्रावली पर वादी की ओर से ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया गया है, जिससे स्पष्ट हो कि स्कूल में भी वादी के पिता का नाम बुद्धिप्रकाश अंकित है। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेज प्रदर्श डी—1 व प्रदर्श—2 से स्पष्ट रूप से साबित है कि वादी के स्कूल व कॉलेज के दस्तावेजात् में पिता का नाम भगवानस्वरूप अंकित है। इस प्रकार उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह तनकी वादी के विरूद्ध तय की गयी है।''**

13— अपीलार्थी के द्वारा हस्तगत वाद घोषणा दत्तक पुत्र हेतु पेश किया है और यह अनुतोष चाहा है कि प्रार्थी मयूर को दत्तक पिता बुद्धिप्रकाश का पुत्र घोषित किये जाने की आज्ञा पारित करें एंव बहैसियत दत्तक पुत्र सभी लाभ—परिलाभ भी दिलाये जाने की कृपा करें तथा अन्य न्यायोचित सहायता जो उचित हो वह भी दिलायी जावे।

14— पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन करने पर वादी/अपीलार्थी द्वारा साक्ष्य के दौरान प्रस्तुत शपथ पत्र के अनुसार उसे बुद्धिप्रकाश पुत्र रामस्वरूप सक्सेना ने नाबालिगी आयु 05 वर्ष की उम्र में ही विधिवत् गौद ले लिया था परन्तु तत्समय पंजीयन नहीं कराया गया। उसके दत्तक पिता बुद्धिप्रकाश द्वारा दिनांक 29.01.2014 को विधिवत् उक्त गौदनामा का पंजीयन कराया है तथा उसकी परवरिश आदि समस्त नाबालिगी अवस्था से ही दत्तक पिता बुद्धिप्रकाश द्वारा की गयी है किन्तु अज्ञानतावश राजस्थान सरकार के किसी भी विभाग में पिता के नाम के स्थान पर दत्तक पिता का नाम अंकित नहीं कराया गया। उसके पिता बुद्धिप्रकाश राजकीय सेवा में सार्वजनिक निर्माण विभाग बारां में स्टोर अटेण्डेंट के पद पर कार्यरत थे, जिनका दौराने राजकीय सेवा दिनांक 18.07.2014 को स्वर्गवास हो चुका है, जिनका समस्त क्रिया—कर्म आदि उसके द्वारा ही संपन्न कराया गया था। पंजीबद्ध गौदनामे पर उसका, उसके माता—पिता एवं गौदग्रहिता पिता बुद्धिप्रकाश का छायाचित्र व हस्ताक्षर है। उसकी पढ़ाई लिखायी आदि का समस्त खर्चा उसके बाल्याकाल से ही अर्थात् 05 वर्ष के बाद से ही उक्त दत्तक पिता बुद्धिप्रकाश द्वारा किया गया है। **प्रतिपरीक्षण** पर गवाह ने कथन किया है कि उसके दत्तक पिता बुद्धिप्रकाश ने अपने विभाग में नोमिनी के रूप में दुर्घटना बीमा में उसका नाम अंकित कराया था, जिसकी प्रति प्रदर्श—5 है, जिसकी पुश्त पर ए से बी के मध्य नोमिनी में उसका नाम अंकित है तथा सी से डी दो स्थान पर उसके दत्तक पिता

बुद्धिप्रकाश के हस्ताक्षर है। सूचना का कवर लेटर प्रदर्श–6 है। बुद्धिप्रकाश जी की मृत्यु के समय उसके द्वारा राजस्थान पत्रिका में दिनांक 19.07.2014 को प्रकाशन में शोक संदेश प्रकाशित कराया था, जिसकी प्रति प्रदर्श–7 है तथा उनका मृत्यु प्रमाणपत्र प्रदर्श–8 है। गवाह ने इस सुझाव को स्वीकार किया है कि उसने दत्तक पुत्र घोषणा और पेंशन के लिये माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर में याचिका पेश की हुयी है, जिसकी प्रमाणित प्रति प्रदर्श डी–1 है।

15– साक्षिया पी0डब्ल्यू0 1 हंसलता सक्सेना ने अपने मुख्य परीक्षण के शपथ पत्र में कथन किया है कि उसके तीन पुत्र है, जिनमें द्वितीय नंबर के पुत्र मयूर को उसकी पांच वर्ष की आयु में ही उसके देवर बुद्धिप्रकाश को गौद दे दिया था परन्तु अज्ञानतावश उसी समय इसका पंजीयन नहीं कराया गया और ना ही किसी राज कागजात में इस बात का अंकन कराया जा सका। गौदनामा प्रदर्श पी–1 पर ए से बी के मध्य उसके हस्ताक्षर है। **प्रतिपरीक्षण** पर साक्षिया ने इस सुझाव को सही होना बताया है कि मयूर को 05 वर्ष की उम्र में गौद देने की कोई कार्यवाही व समाज के रस्मों के अनुसार की गयी कार्यवाही के संबन्ध में कोई दस्तावेज पत्रावली पर प्रस्तुत नहीं किये है।

16– इस संबन्ध में गवाह पी0डब्ल्यू0 3 जयेश सक्सेना ने मुख्य परीक्षण के शपथ पत्र में कथन किया है कि करीब 20–21 वर्ष पूर्व उसके सामने गौद की रस्म हुयी थी, जिसमें बुद्धिप्रकाश जी द्वारा मयूर सक्सेना को गौद लिया था, तब से बुद्धिप्रकाश जी ने ही मयूर सक्सेना की पढ़ाई–लिखाई करवायी है। गौद नामा प्रदर्श पी–1 पर जी से एच के मध्य उसके हस्ताक्षर है। **प्रतिपरीक्षण** पर पर गवाह ने कथन किया है कि उसे गौद लेने की तारीख याद नहीं है, मयूर उसकी बुआ का पोता है। गौद लेने के समय फोटोग्राफ्स नहीं खिंचवाये थे।

17– गवाह पी0डब्ल्यू0 4 सत्यनारायण चौहान ने मुख्य परीक्षण के शपथ पत्र में कथन किया है कि वह बुद्धिप्रकाश सक्सेना को अच्छी तरह से जानता है, उनका स्वर्गवास हो चुका है तथा बुद्धिप्रकाश जी ने अपने जीवनकाल में करीबन 05 वर्ष के लड़के मयूर जो उनके भाई का लड़का है, को गौद लिया था, जिसकी लिखापढ़ी सन् 2014 में करवायी थी। **प्रतिपरीक्षण** पर गवाह ने कथन किया है कि उसे मयूर को गौद लेने की तारीख याद नहीं है।

18– वादी पक्ष की ओर से प्रस्तुत उपरोक्त साक्ष्य के खण्डन में प्रतिवादीपक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्षी डी0डब्ल्यू0 2 हजारीलाल ने अपने मुख्य परीक्षण के शपथ पत्र में जवाब दावे में अंकित तथ्यों की पुनरावृत्ति की है। **प्रतिपरीक्षण** पर गवाह ने

कथन किया है कि वह बारां में 19.07.2021 से पदस्थापित है। रजिस्टर्ड गौदनामा प्रदर्श पी–1 में मयूर व उसके माता–पिता भगवानस्वरूप एवं हंसलता का छायाचित्र अंकित है। उसे जानकारी नहीं है कि मयूर के 05 वर्ष की उम्र के बाद से ही उसका भरण पोषण व शिक्षा–दीक्षा आदि में बुद्धिप्रकाश का सहयोग रहा है। उसे यह भी जानकारी नहीं है कि मयूर ने अपनी अनुकम्पा नौकरी के लिये विभाग में नियत समय पर ही प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर दिया हो।

19– विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध उपरोक्त साक्ष्य का जिस प्रकार से विवेचन कर प्रश्नगत निर्णय पारित किया गया है। इस संदर्भ में इस न्यायालय के अभिमत के अनुसार वादी मयूर सक्सेना को 05 वर्ष की उम्र में वास्तविक रूप से गौद लिया जाना तथा दत्तक ग्रहण का लिखित विलेख 21 वर्ष की आयु में तैयार कर रजिस्टर्ड कराया जाना प्रकट होता है। वादी के दत्तक पिता बुद्धिप्रकाश की मृत्यु उपरांत दिनांक 19.07.2014 को राजस्थान पत्रिका में शोक संदेश प्रकाशित कराया जाना प्रदर्श पी–7 से प्रकट रहा है, जिसमें वादी मयूर का नाम बतौर पुत्र अंकित रहा है। इस संबन्ध में सर्वप्रथम दत्तक ग्रहण के लिये आयु की वैधता का निर्धारण किया जाना आवश्यक है। हिन्दू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम 1956 की धारा 10 (iv) के अनुसार दत्तक लिये जाने वाला व्यक्ति 15 वर्ष से कम आयु का होना चाहिये (जब तक कोई मान्य प्रथा अलग न हो) इसलिये यदि वास्तविक दत्तक ग्रहण 05 वर्ष की आयु में हुआ था तो आयु की दृष्टि में वैध होना प्रमाणित है। इसके अतिरिक्त दत्तक ग्रहण करने की विधि के निर्धारण के संबन्ध में हिन्दू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम 1956 की धारा 11 के अनुसार दत्तक ग्रहण के लिये देना और लेना (Giving and Taking Ceremony) आवश्यक है अर्थात् बालक को उसके वास्तविक माता–पिता द्वारा देना एवं दत्तक लेने वाले द्वारा उसे ग्रहण करना। यदि यह प्रक्रिया 05 वर्ष की आयु में संपन्न हुयी थी तो दत्तक ग्रहण उसी समय पूर्ण माना जायेगा, चाहे लिखित दस्तावेज बाद में बने। प्रस्तुत प्रकरण में भी वादी मयूर सक्सेना का दत्तक ग्रहण विलेख 21 वर्ष की आयु में बनाया जाना अभिवर्णित किया गया है, जो पूर्व में हुये दत्तक गृहण का प्रमाण है। यदि वास्तविक दत्तक ग्रहण 05 वर्ष की आयु में हुआ था तो 21 वर्ष की आयु में बना रजिस्टर्ड विलेख सिर्फ प्रमाण के रूप में वैध माना जा सकता है। इस संबन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय के मतानुसार दत्तक ग्रहण का मुख्य तत्व देना और लेना है, लिखित दस्तावेज आवश्यक नहीं होना अभिनिर्धारित किया गया है। निष्कर्षतः यदि वास्तविक दत्तक ग्रहण पहले हुआ था तो बाद का दस्तावेज केवल प्रमाण माना जा

सकता है।

20— इस संदर्भ में धारा 16 हिन्दू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम, 1956 उल्लेखनीय "*16. Presumption as to registered documents relating to adoption.—Whenever any document registered under any law for the time being in force is produced before any court purporting to record an adoption made and is signed by the person giving and the person taking the child in adoption, the court shall presume that the adoption has been made in compliance with the provisions of this Act unless and until it is disproved.*" अर्थात यदि पंजीकृत गोदनामा जिसमें गोद लेने व गोद देने का स्पष्टरूप से विवरण है व गोद लेने व देने वालों द्वारा निष्पादित किया गया है तो ऐसे दस्तावेज के संबंध में न्यायालय यह उपधारणा बनाने से बाध्य है (Shall Presume) कि दत्तक ग्रहण हिन्दू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम के प्रावधानों की अनुपालन में हुआ है, जब तक इसे गलत साबित (Disproved) न कर दिया जाये। इस बाबत अपीलार्थी ने प्रदर्श—1ए गोदनामा प्रस्तुत किया जो कि दिनांक 29.01.2014 को निष्पादित किया गया एवं जिसको बुद्धिप्रकाश उम्र 57 साल वल्द श्रीरामरूप निवासी बारां (दत्तक पिता) व भगवान स्वरूप उम्र 62 साल वल्द श्रीरामरूप व श्रीमती हंसलता उम्र 56 वर्ष पत्नी श्री भगवानस्वरूप निवासी नगरपालिका कॉलोनी, बारां (जैविक माता—पिता) द्वारा निष्पादित किया गया। उपरोक्त गोदनामे में यह उल्लेखित है कि दत्तक पिता बुद्धिप्रकाश का कोई लड़का—लड़की नहीं है, न कोई पत्नी है और हिन्दू धर्म में मृतक के क्रियाकर्म अन्त्येष्टि, श्राद्ध, तर्पण आदि धार्मिक रीतियों को पूरा करन के लिए एक पुत्र का होना आवश्यक है और उसके भाई भगवानस्वरूप के तीन पुत्र हैं। गोदनामे के अनुसार दत्तक पिता बुद्धिप्रकाश ने अपने भाई भगवानस्वरूप के द्वितीय पुत्र मयूर सक्सेना को 05 साल की उम्र में गोद ले लिया था और गोद की रस्म पूरी कर ली थी। भगवानस्वरूप व उनकी पत्नी हंसलता द्वारा मयूर सक्सेना को दत्तक पिता बुद्धिप्रकाश की गोद में बैठाया था और कहा था कि मयूर आज से बुद्धिप्रकाश का गोद पुत्र है। गोदनामे में मुख्य रूप से यह भी अंकन है कि बुद्धिप्रकाश द्वारा मयूर की परवरिश पांच साल की उम्र से की जा रही है व उसे पढ़ाया—लिखाया भी जा रहा है, लेकिन बुद्धिप्रकाश द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज नहीं लिखवाया गया और न तो अभी तक कोई रजिस्ट्री करवाई गई। अन्य दस्तावेजों में दत्तक पिता बुद्धिप्रकाश के नाम न होने के संदर्भ में गोदनामे में यह स्पष्टीकरण भी अंकित है कि—''लेकिन इस ख्याल से कि कभी कोई उलझन सामने न आ जावे

इसीलिए यह गोदनामा सहर्ष और सोच–समझकर उक्त दत्तक पुत्र श्री मयूर के हक में लिखे व रजिस्ट्री कराये देता हूं कि मयूर मेरा गोद पुत्र है। इस कारण यह मेरा सगा पुत्र ओरस ही रहेगा तथा मेरा कारोबार आदि करेगा। यह मेरी आज्ञा मानेगा तथा मानता है। यह कि मेरी संपत्ति का भी मेरे सगे ओरस पुत्र की तरह मालिक होगा। उक्त दत्तक पुत्र मेरा अंतिम संस्कार करेगा तथा अन्त्येष्टि क्रियाकर्म करेगा तथा मेरा वार्षिक श्राद्ध व तर्पण करता रहेगा और मेरी संपत्ति में वही अधिकार मयूर सक्सेना के होंगे जो एक सगे ओरस पुत्र को होते हैं। यदि कि मयूर सक्सेना की गोद की रस्म में प्राकृतिक माता–पिता भी सहमत है।''

21– उपरोक्त गोदनामे के ध्यानपूर्वक अवलोकन से यह प्रकट होता है कि गोदनामे में मयूर को गोद देने व लेने बाबत उसके असल माता–पिता व दत्तक पिता द्वारा स्पष्ट इन्द्राज मौजूद है। अतः धारा 16 हिन्दू दत्तक एवं भरण–पोषण अधिनियम, 1956 की अनिवार्य उपधारण इस संदर्भ में अपीलार्थी को प्राप्त है कि दत्तक ग्रहण हिन्दू दत्तक एवं भरण–पोषण अधिनियम की अनुपालना में ही हुआ था।

22– विद्वान विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी का वाद खारिज करने के लिए यह आधार लिया है कि अपीलार्थी ने न्यायालय के समक्ष ऐसा कोई दस्तावेज नहीं प्रदर्शित करवाया है कि जिससे यह साबित हो सके कि उसे पांच वर्ष की आयु में गोद लिया गया था, न ही ऐसा कोई साक्ष्य व दस्तावेज पेश किया गया जिससे यह स्पष्ट हो सके कि मयूर सक्सेना अपने दत्तक पिता बुद्धिप्रकाश के साथ रहा हो व पुत्रवत् दायित्वों का निर्वहन किया हो। न्यायालय में यह भी तर्क रखा कि जब बुद्धिप्रकाश द्वारा अपीलार्थी को दत्तक पुत्र लिया गया था तो उसके स्कूल के दस्तावेज में पिता का नाम बुद्धिप्रकाश अंकित क्यों नहीं करवाया गया। इस संबंध में पत्रावली पर कोई साक्ष्य मौजूद नहीं होना पाया। विद्वान विचारण न्यायालय के मत में मानव व्यवहार के साधारण अनुक्रम में देखा जाये तो यदि किसी व्यक्ति द्वारा किसी बालक को गोद लिया जाता है तो उसके पिता के नाम के आगे दत्तक पिता का नाम अंकित किया जाता है परन्तु अपीलार्थी द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज पत्रावली पर पेश नहीं किया गया जबकि समस्त गवाहान ने वादी/अपीलार्थी को पांच वर्ष की उम्र में गोद लिये जाने के कथन किये हैं।

23– अपीलार्थी द्वारा विचारणीय न्यायालय में अपना पक्ष सिद्ध करने के लिए गोदनामे के अतिरिक्त वोटर आई.डी. जिसकी प्रति प्रदर्श–3ए प्रस्तुत की गई थी जिस पर पिता के नाम के स्थान की जगह दत्तक पिता का नाम अंकित है। इसके अतिरिक्त अपीलार्थी द्वारा अपना ड्राईविंग लाईसेंस जिसकी प्रति प्रदर्श–4ए है, प्रदर्शित

कराया जो कि सबसे पहले दिनांक 21.10.2011 को जारी किया गया था। उल्लेखनीय है कि उपरोक्त गोदनामा दिनांक 29.01.2014 को निष्पादित किया गया था और यह ड्राईविंग लाईसेंस दिनांक 21.10.2011 को जारी किया गया था। इससे यह प्रकट होता है कि गोदनामे को निष्पादित करने से पहले भी ऐसे दस्तावेज मौजूद थे जिसमें अपीलार्थी के दत्तक पिता बुद्धिप्रकाश का नाम पिता के नाम के स्थान पर अंकित हो। इससे यह प्रतीत होता है कि गोदनामा कोई बाद में गढ़ा गया विचार (afterthought) नहीं था, बल्कि एक वास्तविक घटना थी जो वैसे ही घटित हुई है जैसा गोदनामे में वर्णित है।

24— धारा 16 हिन्दू दत्तक एवं भरण–पोषण अधिनियम, 1956 के संदर्भ में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायिक दृष्टान्त **Jai Singh V. Shakuntla AIR 2002 Supreme Court 1428** में विचार किया कि "*2. The Section thus envisages a statutory presumption that in the event of there being a registered document pertaining to adoption there would be a presumption that adoption has been made in accordance with law. Mandate of the Statute is rather definite since the Legislature has used "shall" in stead of any other word of lesser significance. Incidentally, however the inclusion of the words "unless and until it is disproved" appearing at the end of the statutory provision has made the situation not that rigid but flexible enough to depend upon the evidence available on record in support of adoption. It is a matter of grave significance by reason of the factum of adoption and displacement of the person adopted from the natural succession - thus onus of proof is rather heavy. Statute has allowed some amount of flexibility, lest it turns out to be solely dependent on a registered adoption deed. The reason for inclusion of the words "unless and until it is disproved" shall have to be ascertained in its proper perspective and as such the presumption cannot but be said to be a rebuttable presumption.*" अर्थात एक पंजीकृत गोदनामा जो कि गोद लेने व देने वालों के द्वारा उचित रूप से निष्पादित किया गया था उसे धारा 16 की उपधारणा का लाभ प्राप्त होगा जब तक उस उपधारणा का खण्डन न किया जाये।

25— चूंकि उपरोक्त गोदनामा अपीलार्थी के दत्तक पिता बुद्धिप्रकाश व उसके जैविक माता–पिता भगवानस्वरूप व श्रीमती हंसलता के द्वारा निष्पादित किया गया था इसलिए उपरोक्त गोदनामे को धारा 16 की उपधारणा का लाभ दिया जाना उचित है। इस उपधारणा के खण्डन के लिए पत्रावली पर कोई ठोस साक्ष्य मौजूद नहीं है।

वादी/अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों का प्रभावी खण्डन रेस्पो0/प्रतिवादीगण की ओर से नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त प्रदर्श–3ए व प्रदर्श–4ए यानि वोटर आई.डी. व ड्राईविंग लाईसेंस के अवलोकन से भी प्रतीत होता है कि अपीलार्थी को वास्तव में श्री बुद्धिप्रकाश द्वारा गोद लिया गया था। अतः उपरोक्त विवेचनानुसार उक्त विवाद्यक वादी के पक्ष में तय किया जाता है।

अनुतोष :–

26– चूंकि विवाद्यक संख्या 01 उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी के पक्ष में तय किया गया है। अतः विद्वान विचारण न्यायालय के द्वारा पारित आदेश दिनांक 07.09.2021 को अपास्त किया जाकर वादी/अपीलार्थी के द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार किए जाने योग्य पाई जाती है।

–:: आदेश ::–

27– परिणामतः अपीलार्थी/वादी मयूर सक्सेना दत्तक पुत्र बुद्धिप्रकाश सक्सेना की ओर से रेस्पो0/प्रतिवादीगण के विरूद्व प्रस्तुत की गई यह अपील स्वीकार किये जाने योग्य पायी जाती है तथा विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 07.09.2021 को अपुष्ट किया जाता है।

28– खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे। तद्नुसार अपील की डिक्री बनाई जावे।

29– निर्णय की प्रति के साथ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली अविलम्ब लौटाई जावे।

(भूपेन्द्र कुमार मीना)
अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
क्रम–2 बारां (राज0)

30– निर्णय आज दिनांक **30.03.2026** को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया व हस्ताक्षरित किया गया।

(भूपेन्द्र कुमार मीना)
अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
क्रम–2 बारां (राज0)